फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री महेन्द्र सिंह, B – 195, अश्विनी पार्क, नवागाम– डिंडोली रोड, उधना, सुरत, गुजरात
– अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, आमेट **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 54/2021**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 23.12.2021 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, आमेट से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, आमेट को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, आमेट द्वारा जरिये क्रमांकः आरटीआई/2021/85–86 दिनांक 15.12.2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के अन्तगत प्रतिलिपि चाहने बाबत प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, राजसमन्द से दिनांक 28.10.2021 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ, कि पालना में वांछित नकल हेतु इस कार्यालय के पत्रांक/भू.अ./2021/73–74 दिनांक 15.11.2021 को जरिये रजिस्टर्ड पत्र प्रतिलिपि हेतु 140/– रूपये शुल्क जमा करवा कार्यालय उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु लिखा गया। श्री महेन्द्र सिंह पुत्र ढकल सिंह चुण्डावत द्वारा 140/– रूपये के पोस्टल ऑर्डर दिनांक 29.11.2021 को इस कार्यालय को प्राप्त हुए के संबंध में प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक/रीडर/आरटीआई/2021/84–85 दिनांक 08.12.2021 जरिये रजिस्टर्ड पत्र प्रतिलिपि भिजवाई जा चुकि हैं। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, आमेट की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, आमेट की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना अपीलाथी को उपलब्ध कराने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, आमेट को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** M **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर)राजसमन्द**	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)